

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस
प्रशासन गांवों के संग अभियान -2021 केम्प :- बुडीवाडा

दिनांक 9.11.2021

क्रमांक / रीडर / 2021/

678

मुकदमा नंबर 228/3022

विप्राथीगण

प्राथी	बनाम	विप्राथीगण
1 जगनाराम पुत्र गिरधारीराम जाति कलबी निवासी बुडीवाडा, तहसील पचपदरा जिला बाडमेर		<p>1. मूलाराम पुत्र मोटाराम 2. अणछाराम पुत्र हाथीराम 3. हनुमानराम पुत्र हाथीराम 4. वोताराम पुत्र हाथीराम 5. सोमाराम पुत्र हाथीराम सभी जाति 6. नेनुदेवी पत्नि हाथीराम कलबी निवासी बुडीवाडा 7. लेखाराम पुत्र सवाराम मेगवाल 8. डायाराम पुत्र लेखाराम मेगवाल 9. मांगाराम (मांगीया) पुत्र सरदाराराम रबारी 10. वालाराम (वलीया) पुत्र सरदाराराम रबारी 11. धनी बेवा सरदाराराम रबारी 12. जोगाराम पुत्र प्रमूराम जाति देवारी, निवासी बुडीवाडा तह0 पचपदरा 13. राजस्थान सरकार भूमिधारक जरीये तहसीलदार पचपदरा।</p>

आदेश

दिनांक :- 09.11.2021

पत्रावली प्रशासन गांवों के संग केम्प कोर्ट बुडीवाडा में पेश हुई। उपर्युक्त प्रकरण मौजा बुडीवाडा, तहसील पचपदरा में मूल खसरा नंबर 1319/447, 1321/447 क्षेत्रफल 02.01, 0.06 बीघा कुल 02.07 बीघा सरहद विवादित भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए 02.07 बीघा सरहद विवादित भूमि के पचपदरा को मौका कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्राथीगण व अप्राथीगण को नोटिस/ पत्र के जरिये सूचित हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थमढी नहीं करने से बाबत राजस्व विभाग द्वारा नोटिस/ पत्र के जरिये सूचित हुए एक हजार रुपयों के अक्षरे एक हजार रुपयों के अक्षरे 07.09.1992 के भूदेनजर) कर पक्षकारानकी उपस्थिति में नेखबन्दी कार्यवाही की जाती है, जो प्राथीगण द्वारा मौके पर अदा किया पांच सौ रुपय मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्राथीगण द्वारा मौके पर अदा किया जायेगा। पुलिस इमदाद की यदि आवश्यकता हो तो सम्बन्धित पुलिस थाना से प्राप्त करें। तहसीलदार, पचपदरा इकाई द्वारा

मन्टे



(नेपाल सोनी)
सहायक जिलाधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

कोर्ट बुडीवाडा